तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-7-22	प्रकरण उप० । वकील पक्षकारान की प्रा० पत्र नियुक्त करने मौका कमिश्नर एवं प्रा० पत्र O.26 R 17 C.P.C एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने की बहस के दौरान प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि की वास्तविक मौका स्थिति न्यायालय मे पेश करने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रा० पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये व्यक्त किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। जिसकी मौका स्थिति स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से प्रा० पत्र प्रस्तुत किया है जो कानूनन खारिज योग्य है। प्रा० पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभय पक्ष सुनी तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण मे मौके की स्थिति दस्तावेज जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस मे स्पष्ट है। अप्रार्थी विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध मे साक्ष्य एकत्रित करने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिसियल्स जज	अहकाम जो … की तामील में
	के लिये कमिश्नर नियुक्त करवाना चाहता है जो न्यायोचित नहीं है। अतः अप्रार्थी का प्रा० पत्र मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने का खारिज किया जाता है। अप्रार्थी के प्रा० पत्र O.6 R.17 C.P.C पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रा० पत्र स्वीकार किये जाने मे वकील प्रार्थी को आपत्ती नहीं है। अतः अप्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के जवाब प्रा० पत्र में विनीत चन्द्रप्रकाश लोढ़ा के स्थान पर देवीलाल आ० कजोड़ गूजर नि० गोपालपुरा तह० बून्दी संशोधन किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त संशोधन अप्रार्थी के जवाब प्रा० पत्र मे लाल स्याही से किया जावे। पत्रावली वास्ते आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र हेतु दि० 20-7-22 को पेश हो।	
20-7-22	आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। मुलाहिजा उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया जिससे प्रकट है कि भूमि ख० न० 961/3 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम उलेडा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिसियालस जज	अहकाम व की तामील
	जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि खातेदार की भूमि नहीं होने से हांकने जोतने व कब्जा नहीं करना प्रकट किया है। किन्तु अपने कथन की पुष्टि में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अप्रार्थी उक्त भूमि पर ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि अप्रार्थी द्वारा जबरन ताकत के बल पर विवादित भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थी विवादित भूमि का खातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी को तनकीमसला वाद तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह भूमि ख. नं. 961/3 रकबा 2 बीघा वाके ग्राम उदेपा पर कब्जा नहीं करे। प्रार्थी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करे। पत्रावली फैसल-शुमार होकर मूल वाद के शामिल रखी जावे। आदेश आज दिनांक 20-7-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।	